राजस्थान–सरकार

कार्यालय उप निदेशक उद्यान, सीताफल उत्कृष्टता केन्द्र, चित्तौड़गढ़

फोन: 9829562036 EMAIL - DDHCOE.CAPPLE.HORT@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक / सी.ओ.ई. / लेखा. / 2021–22 / 129 दिनांक : 02.09.21

निविदा सूचना

सर्व सम्बन्धित से चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये कृषक प्रशिक्षण एवं सेमीनार आयोजन हेतु अल्पाहार, भोजन सप्लाई एवं ठहराव व्यवस्था के लिये मुहर बन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैः–

क्र.सं.	अनुमानित व्यय (लाख रू.में)	बयाना राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र शुल्क नकद (रू.)	निविदा विक्रय करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय
1.	4.00	8,000 / –	200	14.09.2021, दोपहर 12.00 बजे	14.09.2021, 02.00 बजे	14.09.2021, 03.00 बजे

इच्छुक निविदादाता अपनी विहित निविदा प्रारूप में जिन्हें इस कार्यालय से उपरोक्तानुसार शुल्क भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा, पर मुहरबन्द दो लिफाफों में पृथक–पृथक रूप से 'तकनीकी बिड' व 'वित्तीय बिड' जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा हो को कार्यालय उप निदेशक उद्यान (अनु.) सीताफल उत्कृष्टता केन्द्र, चितौड़गढ़ पर निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा कराना होगा।

निविदा की शर्ते कार्यालय समय में किसी भी दिन देखी जा सकती है। उक्त निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर अथवा विभागीय वेबसाइट http://krishi.rajasthan.gov.in से भी देखी जा सकती है।

सरकार न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा निविदा के किसी भाग को बिना को कारण बताये रद्द कर सकेगी।

(राजाराम सुखवाल)
उपनिदेशक उद्यान
सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चितौड़गढ़

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उप निदेशक उद्यान, सीताफल उत्कृष्टता केन्द्र, चित्तौड़गढ़

फोन: 9829562036 EMAIL - DDHCOE.CAPPLE.HORT@RAJASTHAN.GOV.IN

–: तकनीकी निविदा प्रपत्र :–

(Technical Bid)

1. निविदादाता का नाम मय पूर्ण पता व दूरभाष/मोबाईल नम्बर

....

....

....

....

2. निविदादाता द्वारा जमा कराई जाने वाली बयाना राशि का विवरण

कार्य का नाम	डी.डी./ बैकर्स चैक संख्या	दिनांक	राशि रूपये
प्रशिक्षण/सेमीनार में अल्पाहार, भोजन सप्लाई एवं ठहराव व्यवस्था कार्य			8,000/–

3. निविदादाता की पात्रता :–

(अ) निविदादाता का राजकीय संस्थानों में अल्पाहार एवं भोजन सप्लाई कार्य के लिए अनुभव पत्र संलग्न है।।

(ब) दुकान/रेस्टोरेन्ट/संस्था/फर्म का वाणिज्यक कर विभाग में पंजीयन पत्र की छाया प्रति इसके साथ संलग्न है।

(स) इसके साथ ही आयकर विभाग के PAN पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

(द) GST नं. की छायाप्रति सलग्न है।

(य) बैंक पासबुक/निरस्त चैक की प्रति सलग्न है।

हस्ताक्षर

वास्ते फर्म का नाम एवं पूर्ण पता

राजस्थान–सरकार
कार्यालय उप निदेशक उद्यान, सीताफल उत्कृष्टता केन्द्र, चित्तौड़गढ़
फोन: 9829562036 EMAIL - DDHCOE.CAPPLE.HORT@RAJASTHAN.GOV.IN

–: वित्तीय निविदा प्रपत्र :–
(Financial Bid)

1. प्रशिक्षण / सेमीनार में अल्पाहार, भोजन एवं ठहराव हेतु निविदा–
2. निविदा प्रस्तुतकर्ता व्यक्ति / फर्म का नाम– ....
   डाक पता – ....
   ....
   टेलीफोन नम्बर – ....
3. जिसको सम्बोधन किया गया – **कार्यालय उप निदेशक उद्यान**
   सीताफल उत्कृष्टता केन्द, चितौड़गढ़
4. निविदा सूचना संख्या सी.ओ.ई / लेखा. / 2021–22 / 129 दिनांक – 02.09.21 जारी की गई है, से सम्बन्धित समस्त निविदा की शर्तों व करार पत्र का निष्पादन प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने सहित राज्य सरकार द्वारा गठित सामान्य वित्तीय लेखा नियमावली से बाध्य होना स्वीकार करते है।
5. "प्रशिक्षणार्थियों को अल्पाहार एवं भोजन" (पृष्ठ भाग में अंकित मीनू के आधार पर) हेतु कार्य की दरें –
   (दर समस्त कर सहित)

(1) अल्पाहार –	अंको में..............................(प्रति व्यक्ति / डाईट) (अक्षरों में..)
(2) भोजन –	अंको में..............................(प्रति व्यक्ति / डाईट) (अक्षरों में..)
(3) स्पेशल डाईट –	अंको में..............................(प्रति व्यक्ति / डाईट) (अक्षरों में..)
(4) स्पेशल चाय –	अंको में..............................(प्रति व्यक्ति / डाईट) (अक्षरों में..)
(5) कृषक ठहराव व्यवस्था –	अंको में...........(प्रति व्यक्ति– रजाई,गद्दा,तकिया,चद्दर) (अक्षरों में..)

6. उपर उद्धत दरें 31.03.2022 तक विधि मान्य होगी। जिसको पारस्परिक सहमति के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर (मय पता)
निविदा प्रपत्र शुल्क रू....................
जरिये रसीद संख्या........................
दिनांक..................से जमा

राजस्थान–सरकार
कार्यालय उप निदेशक उद्यान, सीताफल उत्कृष्टता केन्द्र, चित्तौड़गढ़
फोनः 9829562036 EMAIL - DDHCOE.CAPPLE.HORT@RAJASTHAN.GOV.IN

भोजन, अल्पाहार एवं ठहराव हेतु निविदा की शर्तो का प्रपत्र

निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व निम्नांकित शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ लिया जावे एवं सहमति के प्रतीक स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर बाईं ओर अंकित किये जावे।

शर्ते :–

1. अपनी निविदा मोहरबन्द लिफाफे में भेजें तथा लिफाफे के ऊपर भोजन हेतु निविदा तथा जिसे प्रस्तुत की जानी है उसका नाम व पता प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता अंकित करे।
2. निविदा स्याही/टंकण कर भरी जानी चाहिए। पेंसिल से भरी गई निविदा पर विचार नही किया जावेगा। निविदा में अंकित दरों में किसी भी प्रकार का फेर बदल नही किया जावे, दरें अंको व शब्दो में स्पष्ट पठनीय अंकित की जावे तथा यदि फेरबदल किया जाना आवश्यक हो तो जहॉ फेर बदल किया गया है वहॉ अपने लघुहस्ताक्षर अंकित किये जावे।
3. निविदा केवल उन्ही फर्मो/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिए जो या तो इस प्रकार की खाद्य सामग्री का विक्रय या निर्माण करते हो। मिठाई सरस देशी घी एगमार्क में निर्मित, पूडी व अन्य तेली वाली सामग्री शुद्ध पोस्टमेन मूंगफली के तेल से निर्मित होनी चाहिए।
4. अनुमोदित विवरण किये जाने वाले सामान का शर्तो विशिष्ट विमेल एवं नमूने लें आदि की सावधानी पूर्वक जॉच किया हुआ माना जावेगा। यदि उसे इस शर्तो या विशेष विवरणो या नमूनो, गुणो आदि के किसी भाग के अर्थ के बारे में कोई संदेह होगा तो वह निविदा की दरें अंकित करने से पूर्व कार्यालय को संदर्शित करेगा तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त होगा।
5. मौका निरीक्षण करने पर किसी भी प्रकार की कमी पाई जावेगी, उसे पूरी करेगा।
6. सभी कथित दरें तादाद अनुसार प्रशिक्षण/सेमीनार स्थल जहॉ आपूर्ति के लिये निर्देशित किया जावे, एफ. ओ. आर. होनी चाहिए, उसमें सभी कर जो सरकार को देय हो सम्मिलित होने चाहिए।
7. निविदा देने वाले व्यक्ति को जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है आदेश प्रदान किये जाने की तारीख को आदेश में वर्णित मात्रा का निर्धारित समयावधि पर तैयार माल वितरण करने की व्यवस्था करनी होगी। नाश्ता व भोजन का मीनू निम्नानुसार रहेगा। ठहराव की व्यवस्था निर्देशानुसार करनी होगी।

अल्पाहार	चाय के साथ, जलेबी 100 ग्राम/कचोरी–1/पोया/खमण/उपमा/समोसा/आलू बड़ा/ या (देशी घी) में निर्मित आलू परांठा व दही
भोजन (भर पेट)	1. पोस्टमेन तेल में निर्मित पुड़ी, सब्जी, अचार या 2. देशी घी से चुपड़ी हुई चपाती, चांवल, दाल, हरी सब्जी
स्पेशल डाईट (भर पेट)	1. देशी घी से निर्मित या मावे मिठाई 100 ग्राम, पुड़ी/चपाती/नॉन, दाल, हरी सब्जी सलाद, पापड/नमकीन, रायता इत्यादि। या 2. देशी घी से निर्मित दाल, बाटी, चूरमा, सलाद, छाछ इत्यादि या 3. स्पेशिएल खीर, पोस्टमेन तेल में निर्मित पुड़ी, सब्जी, पकौड़ी, पापड़, सलाद इत्यादि
स्पेशल चाय	फुल कप ईलायची/अदरक युक्त
ठहरने की व्यवस्था	गद्दा, रजाई, तकिया, चद्दर कृषक वार पृथक से

8. प्रशिक्षण एवं सेमीनार दो दिवसीय होगे। प्रत्येक प्रशिक्षण में 50 कृषक एवं सेमीनार में 100 कृषक भाग लेगें। प्रशिक्षण एक से अधिक दिन की अवधि होने के कारण कृषको को रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी निविदादाता को करनी होगी।
9. प्रदाय का अनुबन्ध किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है यदि क्रय समिति/सरकार की संतुष्टि के आधार पर प्रदाय नही किया जावेगा।
10. निविदा देने वाले व्यक्ति को निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में अपने हस्ताक्षर अंकित करने चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस फर्म की ओर से निविदा दी जा रही उसके लिये हस्ताक्षरकर्ता कारोबार करने वाला अधिकृत व्यक्ति है।
11. निविदा के साथ राशि रूपये 8,000/– का डी.डी./बैंकर्स चैक जो **"उप निदेशक उद्यान, सीताफल उत्कृष्टता केन्द्र,चितौड़गढ़ "** के पक्ष में हो, धरोहर के रूप में कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
12. प्रदाय करने वाली फर्म को भुगतान करने में राशि प्रेषण में जो भी व्यय होगा वह संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।

13. यदि अनुमोदित फर्म निर्धारित विशिष्ठ विवरण अनुसार निर्धारित समयावधि में माल सप्लाई करने में असफल हो जाती है तो क्रय कर्ता अधिकारी को पुनः निविदाये आमंत्रित करने या अन्य प्रकार से सामग्री की आपूर्ति का पूर्ण अधिकार होगा तथा अधिक भुगतान जो उपरोक्त कारणो से होता है वह अनुमोदित फर्म से वसूल किया जावेगा।
14. क्रय समिति किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। **यह आवश्यक नही कि न्यूनतम दर वाली निविदा ही स्वीकार की जावे।** अधिक दर वाली निविदा भी स्वीकृत की जा सकती है। सामग्री प्रदाय में मूल्य के स्थान पर गुणवत्ता को आधार बनाया जावेगा।
15. समिति किसी निविदादाता के पूर्ण अथवा आंशिक भाग को बिना कारण बताये रद्द कर सकती है। उसे सम्पूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा के लिये आदेश दिये जा सकते है। तादात में कमी/बेसी की जा सकती है।
16. देय भुगतानों में से सरकार के नियमानुसार समस्त प्रकार के कर जो काटे जाने है, काट कर ही सम्बन्धित फर्म को ऑन लाईन भुगतान बैंक खाते में किया जावेगा।
17. निविदाकर्ता या उसका प्रतिनिधि निविदा को स्वीकृत करवाने के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच करता है तो निविदा स्वीकृति अयोग्य हो जावेगी।
18. सफल निविदाकार की धरोहर राशि समाप्त होने के पश्चात सम्पूर्ण सामग्री की प्रदाय बाबत संतुष्टि होने के पश्चात ही लौटाई जावेगी जिस पर किसी भी प्रकार ब्याज देय नही होगा।
19. सामग्री का प्रदाय निर्धारित अवधि में करना होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये निर्धारित विलम्ब शुल्क अनुमोदित निविदाकार से सामान्य वित्तीय लेखा नियमो के अनुसार काटा जावेगा।
20. आपूर्ति की गई सामग्री निर्धारित गुणवत्ता व वजन में नही होने अथवा कोई कमी होने पर भी समय एवं कार्य की महत्वता को दृष्टिगत रखते हुये क्रय अधिकारी द्वारा शिकायत की जाती है तो अनुमोदित दरों से समिति जो उचित कटौती कर सामग्री स्वीकार कर सकेगी। यह कटौती राशि अनुमोदित निविदाकार को स्वीकार होगी।
21. प्रदाय की जाने वाली निर्मित खाद्य सामग्री की विशिष्ठता जो **उप निदेशक उद्यान, सीताफल उत्कृष्टता केन्द्र,चितौड़गढ़** द्वारा बताई जाती है अनुसार ही सामग्री का प्रदाय करना होगा। निर्मित खाद्य सामग्री को कमेटी के सदस्यो से अनुमोदित दरों से समिति जो उचित कटौति कर सामग्री स्वीकार कर सकेगी। यह कटौति राशि अनुमोदित निविदाकार को स्वीकार होगी।
22. खाद्य पदार्थो में किसी भी प्रकार का अपमिश्रण पाये जाने पर अथवा खराब होने से **किसी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की स्थिति अनुमोदित निविदादाता के विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।**
23. खाने की पैकिंग अच्छी क्वालिटी की व सुरक्षित तथा स्वच्छतापूर्ण होनी चाहिए। **प्लास्टिक थैली प्रयोग में नहीं लाई जावे।** साथ ही पीने के पानी एवं सफाई की व्यवस्था निविदादाता द्वारा की जावेगी।
24. समस्त प्रकार के विवादो के मामले में अन्तिम निर्णय **उप निदेशक उद्यान, सीताफल उत्कृष्टता केन्द्र,चितौड़गढ** को होगा जो निविदाकार को मान्य होगा।
25. सशर्त निविदायें स्वीकार योग्य नही होगी।
26. खाना तैयार कर निर्धारित स्थल, तिथि एवं समय पर उपलब्ध करवाना एवं कृषको को भोजन खिलाने संबंधी आवश्यक सामान/डिस्पोजल प्रदाय करना होगा।
27. खाना, अल्पाहार आदि तय स्थान पर निर्धारित समय से पूर्व उपलब्ध करवाने का किराया भाडा, चोरी चकारी, टूट फूट दुर्घटना आदि निविदादाता को वहन करनी पडेगी। अपरिहार्य कारणों से प्रशिक्षण स्थल एवं दिनांक में परिवर्तन का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता का होगा।
28. कार्य आदेश के **7 दिवस के अन्दर** 500/— **के नॉन—जुडिशियल स्टाम्प पेपर** पर **उप निदेशक उद्यान, सीताफल उत्कृष्टता केन्द्र,चितौड़गढ** के नाम सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में नियमानुसार अनुबन्ध के करार पत्र का निष्पादन करना होगा।
29. समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र चितौड़गढ़ होगा।
30. निविदादाता फर्मो का **TIN / PAN/GST** की प्रति संलग्न करें।
31. भोजन/अल्पाहार/स्पेशल डाईट, स्पेशल चाय एवं ठहराव व्यवस्था की न्यूनतम दर या सभी की दर के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित की जावेगी।
32 सफल निविदादाता को 5 प्रतिशत अमानत राशि 03 दिवस में बैकर्स चेक/डी.डी के द्वारा जमा करानी होगी। धरोहर राशि को अमानत राशि में समाहित कर ली जावेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
मैसर्स वास्ते...

(राजाराम सुखवाल)
उपनिदेशक उद्यान
सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चितौड़गढ़